

RE

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

आदेश क्रमांक 23/64-2003 S-1 (4) दिनांक, चण्डीगढ़ 01.07.2004

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए Rattan Convent School Harfala Road Seckari Faridabad को कक्षा 1 से 10वीं तक को सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय रथाई मान्यता आदेश क्रमांक 23/64-2003 S-1 (4) दिनांक 30.6.2004 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली द्वारा विद्यालय की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया जाएगा। विद्यालय का कोड नं. 42/FBD/10TH/CBSE/2004 है।

आर.डी. लिंगायन  
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,  
चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक, चण्डीगढ़ 1-7-04

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है-

है-

1. प्रबन्ध समिति, Rattan Singh Charitable and Educational Society 1583 Sector-7 E Faridabad
2. सचिव केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड, नई दिल्ली।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, Faridabad.
4. मास्टर फाईल।

ऑफिसर इन्चार्ज विद्यालय 3/3/04  
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,  
चण्डीगढ़।

PRINCIPAL  
RATTAN CONVENT SCHOOL  
HARFALA ROAD, SECTOR 7  
FARIDABAD (HARYANA)